



-प्रेस नोट-

दिनांक- 08.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग को बाधित करने व कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत एक पिकअप वाहन को सीज किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कांवड़ यात्रा-2026 व कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक मिर्जापुर श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.08.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन UP 11 DT 3049 (जिसमें मुर्गे भरे थे) जो हथनीकुण्ड से गन्देवड की तरफ कांवड़ मार्ग को बाधित कर रहा था, चालक द्वारा पिकअप के वैध प्रपत्र नहीं दिखाये गये, तो पिक अप को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में मौके पर ही सीज किया गया।

सीज करने वाली पुलिस पार्टी -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर



दिनांक 08-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के मुकदमें में वांछित गौकश अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 06/08/2026 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा गौकश अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था तथा गिरफ्तार अभियुक्त व वांछित अभियुक्तों के खिलाफ थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 373/26 धारा 109(1)/3(5) भा0न्या0सं0 व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, गौकशी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08/08/2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पुलिस मुठभेड़ के मुकदमें में वांछित अभियुक्त घुसी उर्फ राहत हुसैन पुत्र हसन निवासी ग्राम हलवाना थाना गंगोह जिला सहारनपुर को ग्राम हलवाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंगोह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2026 धारा 317(5) बीएनएस में वांछित चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

(1) घुसी उर्फ राहत हुसैन पुत्र हसन निवासी ग्राम हलवाना थाना गंगोह जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

(1) मु0अ0सं0 151/26 धारा 317(5) बीएनएस थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0 109(1)/3(5) भा0न्या0सं0 व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 श्री बिलेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(2) हे0का0 12 अंकुश गौदारा थाना गंगोह जिला सहारनपुर

(3) हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर



दिनांक- 08.08.2026

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही □

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी पर करारा प्रहार — 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.08.2026 को चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्त मौहम्मद अमजद पुत्र वाजिद अली निवासी हरिजन कालोनी गली न0-05 कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को गंगा यमुना शुद्ध वैष्णो ढाबा से आगे जंगल ग्राम भटपुरा खेतों की तरफ रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 311/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मौहम्मद अमजद पुत्र वाजिद अली निवासी हरिजन कालोनी गली न0 05 कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 150 ग्राम अवैध चरस

अभि0 का आपराधिक इतिहास -

- मु0अ0सं0 311/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
- मु0अ0सं0 104/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुबोध शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 851 विपिन पाठक थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 08.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश **थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01** **अवैध चाकू बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी, अवैध शस्त्र रखने/तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष सिंह त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान 01 शातिर अभियुक्त हिमान्शु पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला नन्द पुरी मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ से दबनी कब्रिस्तान की ओर से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-365/26 धारा- 4/25 आयुध अधिनियम के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहरुख पुत्र रफीक निवासी हबीबगढ़ लडकियो के मदरसे के सामने थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री अजय पाल सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1081 रूपेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का01399 सुमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 08.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा सहकारी चीनी मिल नानौता में करीब 68 लाख रुपये के गबन के मुकदमें में वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 04.08.2026 को वादी श्री सौरभ बंसल मुख्य लेखाकार सहकारी चीनी मिल नानौता द्वारा थाना उपस्थित आकर बाबत सहकारी चीनी मिल में कार्यरत अभियुक्तगण द्वारा चीनी मिल की लेजर में हेराफेरी/ओवर राईटिंग व गलत एंट्री कर ठेकेदारों से साठ-गांठ करते हुए डबल पैमेन्ट कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए शासकीय / संस्था की घनराशि गबन करने के सम्बन्ध में थाना नानौता पर रिपोर्ट दी थी। दाखिला तहरीर पर तत्काल थाना नानौता पर मु0अ0स0 193/26 धारा 316(2)/318(4)/340(2)/344 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 316(2) बीएनएस का लोप करते हुए धारा 316(5)/3(5) बीएनएस की वृद्धि तथा सम्बन्धित अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में **वांछित अभियुक्त चेतन्यराम ठाकुर पुत्र श्यामजी निवासी ग्राम पाण्डरवाही थाना कांकेर जनपद कांकेर छत्तीसगढ़ हाल निवासी चीनी मिल कालोनी थाना नानौता जपनद सहारनपुर (लेखाकार चीनी मिल)** को गंगोह रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चेतन्यराम ठाकुर पुत्र श्यामजी निवासी ग्राम पाण्डरवाही थाना कांकेर जनपद कांकेर छत्तीसगढ़ हाल निवासी चीनी मिल कालोनी थाना नानौता जपनद सहारनपुर (लेखाकार चीनी मिल)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. रि0 का0 1758 सूरज प्रताप सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 08.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 शराब तरकर गिरफ्तार, कब्जे से 24 अद्धे अवैध अंग्रेजी
शराब चण्डीगढ़ मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गश्त व चैकिंग के दौरान आज दिनांक 08.08.2026 को अभियुक्त **विकास पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को सरसावा बुढेडा रोड पर ट्यूबवैल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 24 अद्धे अवैध शराब चण्डीगढ़ मार्का बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0- 259/2026 धारा 63 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विकास पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

➤ 24 अद्धे अवैध अंग्रेजी शराब (चण्डीगढ़ मार्का)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 259/2026 धारा 63 आब0 अधि0 थाना सरसावा सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 -28/2026 धार 305(a)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 -29/2026 धार 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. का0 1967 अनुज चौधरी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4. रि0का0 2585 शुभम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 08.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का क्रय/विक्रय करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले अभियुक्तगण 1.शाहजमान पुत्र रहीश अहमद निवासी इन्द्राचौक गली नं0 4 निकट उमर मस्जिद थाना मंडी सहारनपुर 2.अंकित यादव पुत्र शंकरलाल निवासी म0न0 3887 सेथिया बिहार नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को मण्डी समिति में पीछे की ओर खण्डहर बिल्डिंग वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 88 गिट्टी प्रतिबन्धित मांझा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 407/26 धारा 223/125 बीएनएस व 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया है अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. शाहजमान पुत्र रहीश अहमद निवासी इन्द्राचौक गली नं0 4 निकट उमर मस्जिद थाना मंडी सहारनपुर।
- 2.अंकित यादव पुत्र शंकरलाल निवासी सेथिया बिहार नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 88 गिट्टी प्रतिबन्धित मांझा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुशील पंवार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1240 मनोज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 848 कपिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. का0 1600 मनोज कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 08.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

महिला थाना पुलिस द्वारा 01 NBW वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.08.2026 को महिला थाना पुलिस द्वारा 01 NBW वारन्टी अभियुक्त प्रेमलता पत्नि सूरत सिंह निवासी इब्राहिमपुर मसाही थाना भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड को (सम्बन्धित वाद सं०-62/24 अ०सं० 119/23 धारा 498ए, 323, 504, 506 आईपीसी 3/4 डीपी एक्ट थाना महिला थाना स०पुर (सिविल जज(जू०डि०)/एफ०टी०सी० सहारनपुर) को थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

प्रेमलता पत्नि सूरत सिंह निवासी इब्राहिमपुर मसाही थाना भगवानपुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व०उ०नि० श्री जुगल किशोर शर्मा महिला थाना सहारनपुर।
2. म०उ०नि० अवनी उपाध्याय महिला थाना सहारनपुर।
3. का० 1080 राहुल महिला थाना सहारनपुर।